कार्यालय
खण्ड अधिकारी
एवं
खण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

OFFICE NOTE SHEET

A2
3

13.08.22 पत्रावली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 में पेश हुई। वकील वादी द्वारा उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 की भावना से वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम 3 एचएच, पटवार हल्का 18 जीजी, भू.अ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 15/16 पेश की। पक्षकारान में आपस में राजीनामा है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा दिनांक 25.02.2022 स्वीकार किया जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। तहसीलदार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 में मजमेआम सुनाया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

श्री भंवरलाल जाखिया
(सदस्य बैंच संख्या-03)
तहसीलदार
श्रीगंगानगर

श्री विजय कोचर
(अध्यक्ष बैंच संख्या-03)
राष्ट्रीय लोकअदालत
श्रीगंगानगर

22/8/22 अभिवक्ता की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13/8/22 को निर्णय पुनर्विचार किये जाने पर ग्राम्य मुल्क उक्त केस पर पक्षकारी भाव पेश्री में तीसरी निर्णय दिनांक 13/8/22 की पालना में पत्रावली की जाती रहा जाता है। पक्षकारी न्यायिक है। पक्षकारी पुनः द्वारा नम्बर के रूप की जाकर दिनांक की सूची में दर्शित हो।

मनोज कुमार मीना
(R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
4

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सीपीसी)

परिशिष्ट घ संख्यांक–1

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीना आरएएस

प्र.सं. 010/2022

जीसीएमएस : 2022/10

1. तविन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री केसर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एच एच तहसील श्रीगंगानगर हाल चक काला टिब्बा तहसील अबोहर। .....वादी

ब ना म

1. केसर सिंह पुत्र श्री सरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एच एच तहसील श्रीगंगानगर हाल चक काला टिब्बा तहसील अबोहर।
2. श्रीमती जसकरण कौर पत्नी श्री केसर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एच एच तहसील श्रीगंगानगर हाल चक काला टिब्बा तहसील अबोहर।
3. संदीप कौर पुत्री श्री केसर सिह पत्नी श्री कंवरजीत सिंह निवासी 3 एच एच तहसील श्रीगंगानगंर हाल गुरू अंगद नगर, मुक्तसर ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
5. शाखा प्रबन्धक, ओ बी सी बैंक शाखा श्रीगंगानगर .. प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22.08.2022

वादी और प्रतिवादीगण उपस्थित। वादी, प्रतिवादीगण एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद के आज अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती हैं किः–

वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा दिनांक 25.02.2022 को डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 22.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मनोज कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक,
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

A2/5

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	0	5. आदेशिका की तामील	0
6. कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	0	जोड़	0

(मनोज कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक,
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर